

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

सं०सं०-02/कर माफी-01/2015 परि०  
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-410, दिनांक-10.03.2018 एवं पत्रांक-651, दिनांक-17.04.2018 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मुजफ्फरपुर के एक नये वाहन TATA 1613 SE WATER TRUCK WITH PUMP के कर विमुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में किये जाने हेतु कर माफी अभिलेख अनुशंसा सहित उपलब्ध कराया गया है। वाहनों से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :-

Sl. No	Type of New Vehicle	Engine Number	Chassis Number	Period of Road Tax	Amount of Road Tax (in Rs.)
1	TATA 1613 SE WATER TRUCK WITH PUMP	CR16-75KSY110484	MAT388056H2N20662	22.02.2018 to 21.02.2020	₹ 20,608/-
<b>TOTAL</b>					<b>₹ 20,608/-</b>

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्त प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-410, दिनांक-10.03.2018 एवं पत्रांक-651, दिनांक-17.04.2018 के साथ संलग्न कर माफी अभिलेख द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मुजफ्फरपुर के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में संगणित कुल कर ₹ 20,608/- (बीस हजार छः सौ आठ रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है। साथ ही बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/--

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 31/5/18

निबंधित

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-01/2015 परि०

3144

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

